# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

## अधिहरण वाद संख्या-38/2023-24

**सरकार**

**बनाम्**

**बिरंजन यादव**

## —: आदेश :—

दिनांक 10/12/23

मामला गोड्डा नगर थाना काण्ड संख्या—153/2023 दिनांक—05.06.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक—3196/अप0शा0 दिनांक—17.07.2023 से धारा—379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली—2004, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम—4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम—2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17H-4009, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

विपक्षी को कारण—पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश देने के बाद भी लगातार अनुपस्थित आ रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुछ नहीं कहना है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि को धारा—379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली—2004, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम—4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम—2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17H-4009, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन का उपयोग बालू का अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या—JH17H-4009, टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, गोड्डा नगर को दें।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 13:46:10 +05:30
Location: 192.168.1.55

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।